वक्फ बोर्ड को सुको का झटका

वक्फ संपत्ति विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली, 01 दिसंबर. **उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सरकारी पोर्टल उम्मीद पर वक्फ संपत्ति का विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया.**

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आवेदनों का निपटारा करते हुए आवेदकों को वैधानिक समय सीमा से पहले अपने संबंधित न्यायाधिकरणों से संपर्क करने की सलाह दी. पीठ ने कहा कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम की धारा 3बी वक्फ न्यायाधिकरणों को उचित मामलों में समय सीमा बढ़ाने का अधिकार देती है. आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह संशोधन 8 अप्रैल को लागू हुआ और पोर्टल 6 जून को चालू हुआ, जबकि नियम 3 जुलाई को अधिसूचित किए गए. उन्होंने तर्क दिया कि छह महीने की समय सीमा अपर्याप्त थी, खासकर सदियों पुराने वक्फों के लिए जहाँ मूल वक्फ की पहचान जैसे विवरण उपलब्ध नहीं हैं.

बिना पोर्टल विवरणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा

उन्होंने कहा कि इन विवरणों के बिना पोर्टल विवरणों को स्वीकार नहीं करेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पोर्टल में तकनीकी खराबी है. आवेदकों ने निर्देशों के पालन की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन उन्हें अधिक समय चाहिए. महाधिवक्ता तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धारा 3बी का न्यायाधिकरणों को अलग मामलों को आधार पर पंजीकरण के लिए समय बढ़ाने का स्पष्ट अधिकार देता है. श्री सिब्बल ने बताया कि इससे 10 लाख मुतावल्लियों को व्यक्तिगत आवेदन दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

वकील निजाम पाशा ने तर्क दिया कि छह महीने की अवधि 10 अक्टूबर को पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि इसे संशोधन की तारीख से गिना जाना चाहिए. महाधिवक्ता ने इस पर टिप्पणी की कि पोर्टल के चालू होने की तारीख के आधार पर समय सीमा 6 दिसंबर है. पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, चूँकि आवेदकों के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय उपलब्ध है, हम निर्धारित छह महीने की अवधि की अंतिम तिथि तक न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए आवेदनों का निपटारा करते हैं.

केजरीवाल बोले नई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं

नईदिल्ली, 1 दिसंबर. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हालिया चुनावी नतीजों के बाद सभी विजयी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने (पूर्व ट्विटर) पर एक विशेष पोस्ट साझा करते हुए न सिर्फ जीत की खुशी व्यक्त की बल्कि जनता के विश्वास को सबसे बड़ी ताक़त बताया. केजरीवाल ने कहा कि यह जीत केवल उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की जीत है जिसे हर आम नागरिक ने अपने मत के माध्यम से व्यक्त किया है. उन्होंने विजेताओं को याद दिलाया कि जनता का भरोसा बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आता है और अब समय है कि उस भरोसे को ईमानदारी और मेहनत से पूरे सम्मान के साथ निभाया जाए. उनका यह संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरता दिखा, जबकि समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं के जरिए अपनी खुशी जाहिर की.

CROPTECH BIO CHEMICALS & FERTILIER
9, Dewas Maksi Road, Gram Hoshiyari, Dewas-455001 (M.P.)
In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **CROPTECH BIO CHEMICALS & FERTILIER** Hereby notifies that it intends to introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like-
(1) N.P.K. (20:20:20) (CROPTECH 20:20:20)
(2) N.P.K. (19:19:19) (CROPTECH 19:19:19)
(3) N.P.K. (13:40:13) (CROPTECH 13:40:13)
We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.
Mobile : 98260 52660

यूपी को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाना लक्ष्य

योगी ने कहा कि उनकी ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलितों, वंचितों और कमजोर तबकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई हैं. शिक्षा, छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाएँ, प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक सहायता—इन सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं. सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब की सोच पर चलते हुए प्रदेश में 'जीरो पॉवर्टी अभियान' संचालित किया जा रहा है. इसके तहत कमजोर वर्गों तक आवास, राशन, पेंशन, शिक्षा, श्रम योजनाएं और बाल विकास कार्यक्रमों का लाभ तेज गति से पहुंचाया जा रहा है.

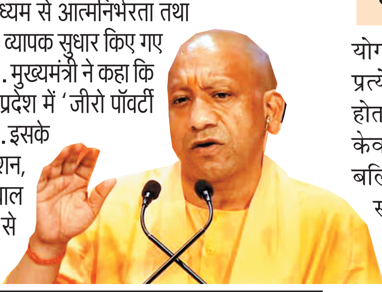

सीएम योगी ने किया अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण

लखनऊ 1 दिसम्बर. **संविधान दिवस पर पेरिस से आई एक विशेष तस्वीर ने पूरे देश, खासकर उत्तर प्रदेश को गर्व से भर दिया. यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव राव अम्बेडकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया.**

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 'योगी की पाती' के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया और बाबा साहेब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश को वर्ष 2027 तक गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही है. सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदेश की जनता के नाम संबोधित योगी की पाती पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व समुदाय जब बाबा साहेब के योगदान को सराहता है, तो यह क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का होता है. उन्होंने कहा कि अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना को जीवन में उतारने वाले युगांतरकारी महापुरुष थे.

आस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने 62 की उम्र में रचाई शादी

नई दिल्ली, 1 दिसबंर. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 62 वर्ष की आयु में अपनी पार्टनर जोडी हेडन से विवाह करके न सिर्फ अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक इतिहास में भी एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर दिया. अल्बनीज ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने पद पर रहते हुए विवाह रचाया है। कैनबरा स्थित द लॉज में शनिवार को आयोजित इस निजी समारोह में परिवार, करीबी मित्रों और सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर भी यह शादी चर्चा का विषय बनी रही, जब अल्बनीज ने एक छोटा-सा वीडियो साझा किया, जिसके कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा था शादीशुदा. इस सरल लेकिन प्रभावशाली अंदाज़ ने लाखों शुभकामनाएँ बटोरीं.

मोदी ने की ड्रामेबाजी की डिलीवरी : खरगे

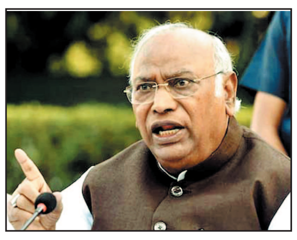

नई दिल्ली, 1 दिसंबर. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने ने संसद भवन परिसर में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुद्दों की बात करने की बजाय ड्रामेबाजी कर फिर संसद की मर्यादा को तोड़ने करने का काम किया है. खरगे ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के संसद भवन परिसर में दिए बयान पर कहा कि उन्होंने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने की बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है. असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार और कैसे तारतार किया है उसकी फेहरिस्त लंबी है. उन्होंने लिखा, पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 विधेयक जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के. पूरे देश ने पहले भी देखा है किस तरह आपने किसान विरोधी काले कानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे विधेयक संसद में आनन-फानन में ध्वस्त किये.

एक नजर में

चक्रवाती तूफान दित्वाह पड़ा कमजोर

चेन्नई, 01 दिसंबर. तमिलनाडु के चेन्नयी तट के करीब पहुंचने के बाद कमजोर होकर एक गहरे अवदाब में परिवर्तित चक्रवाती तूफान दित्वाह सोमवार दोपहर तक और कमजोर होकर एक अवदाब में बदल जाएगा. मौसम विभाग ने शहर और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. इस तूफान के चेन्नई और उत्तरी तमिलनाडु तट के करीब पहुंचने के साथ, शहर और उसके आसपास के जिलों में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है और आज सुबह भी जारी रही. मौसम विभाग ने आज सुबह एक अपडेट में कहा कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों पर बना गहरा अवदाब (चक्रवाती तूफान दित्वाह का अवशेष) पिछले 6 घंटों के दौरान 10 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ गया है.

नई एफआईआर पर सिंघवी ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली 01 दिसंबर. नेशनल हेराल्ड मामले में दर्ज की गई नई एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर हमला बोला है. सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पूरा मामला कानून से सम्मत नहीं, बदले की राजनीति से प्रेरित है. श्री सिंघवी ने कहा कि सरकार उन विपक्षी आवाजों को निशाना बना रही है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं. उन्होंने कहा कि यह एक अजीब स्थिति है. न कोई अपराध, न कोई कैश, न कोई ट्रेल. भाजपा अपनी कल्पना से केस बना रही है, यदि न्याय अंधा है, तो ईडी कलर ब्लाइंड है. उसे सिर्फ एक ही रंग दिखाई देता है.

थरूर की अनुपस्थिति से पार्टी में असमंजस बढ़ा

नई दिल्ली 01 दिसबंर. कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक बैठकों से शशि थरूर की बढ़ती दूरी अब पार्टी के भीतर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. विंटर सेशन से पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई अहम मीटिंग में थरूर एक बार फिर नजर नहीं आए. उनका तर्क था कि वे केरल में अपनी 90 वर्षीय मां के साथ हैं, जिनका जन्मदिन 28 नवंबर को था. लेकिन लगातार दो बैठकों से उनकी गैरमौजूदगी ने कांग्रेस खेमे में नई हलचल पैदा कर दी है. इससे पहले स्ब्बक्रमुद्दे पर बुलाई गई बैठक में भी वे शामिल नहीं

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनेंसियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 एवं के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ सपठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पुर्नभुगतान हेतु नोटिस जारी किया था।

ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त कानून के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं इन संपत्तियों के साथ व्यवहार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ नीचे दर्षाई राषि एवं उस पर ब्याज के विषयानुसार होगा।

ऋणकर्ता के ध्यानार्थ, धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समयसीमा में सुरक्षित संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति	चस्पा की दिनांक
1	लोन नं. 0IDR2007000005028276 & 0INA2303000005061125 सपना पटेल, दीपक पटेल	20-09-2025 & ₹ 3,43,952 /- & ₹ 3,55,134 /-	फ्लैट संख्या 406 चौथी मंजिल हरिदर्शन अपार्टमेंट प्लॉट संख्या 01 श्री राम कमल रेजीडेंसी ग्राम नैनोद तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश –453112, क्षेत्रफल – 270 वर्ग फीट, **चतुरसीमा:** पूर्व – खुली जगह, पश्चिम – खुली जगह, उत्तर – फ्लैट संख्या 405, दक्षिण – फ्लैट संख्या 407	29-11-2025

स्थान : गुडगाँव
दिनांक: 01-12-2025

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
देवास शाखा: प्लॉट नंबर 01, विमला टाउनर, दूसरी मंजिल, राम नगर, ए.बी. रोड, देवास-455001 (मध्य प्रदेश)
रतलाम शाखा: तल मंजिल, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम-457001 (मध्य प्रदेश)
मंदसौर शाखा: मकान नं. 164, गांधी मार्केट वार्ड 13, यशोधाम मार्ग, जोन नंबर 07, नूतन स्कूल के सामने, मंदसौर 458001 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02100000228 / देवास शाखा) इमरान हुसैन (ऋणी), प्रवीण हुसैन (सह-ऋणी), सुदामा वाधवानी (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नंबर 22 का भाग पुराना न्यू नंबर 23 गली नंबर 02 पठान कुवा, देवास, मध्य प्रदेश - 455001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: श्री कमील पिता श्री अजीत का मकान, पश्चिम: श्री बरकत अली ठेकेदार, उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: कुदरत बाई के मकान के बाद बाडा	16-05-2024 & ₹ 6,38,174/-	26-11-2025
2	(लोन कोड नं. 02100000928 / देवास शाखा) संजय कुमार वर्मा (ऋणी), सुनीता वर्मा (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 88 वार्ड नं.10 मारवाड़ी जीनगर धर्मशाला के बगल में तहसील हाटपिपल्या जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455223 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: संजय वर्मा का मकान, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: आम गली फिर श्री बाबूलाल पिता श्री अंबाराम का मकान, दक्षिण: जीनगर समाज की धर्मशाला	08-09-2025 & ₹ 5,59,001/-	26-11-2025
3	(लोन कोड नं. 02100001110 & 02100002056 / देवास शाखा) आत्मा राम यादव (ऋणी), उमा बाई यादव (सह-ऋणी), जागेश्वर गुर्जर (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 766/16 /2 पटवारी हल्का नंबर 18 वार्ड नंबर 3 आज़ाद मार्ग त्रिमूर्ति कॉलोनी खातेगांव तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश 455336. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: गली, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: अनिल पटेल का प्लॉट, दक्षिण: श्री रेवाराम जाट का मकान	08-09-2025 & ₹ 13,34,768/-	26-11-2025
4	(लोन कोड नं. 02100001311 / देवास शाखा) वाहिद खान पठान (ऋणी), वाशिद पठान एवं शाहनाज पठान (सह-ऋणी), वाहिद लोहर (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 490 पेकी पटवारी हल्का नंबर 18 वार्ड नंबर 08 मंदिर के पास सिलावटपुरा खातेगांव तहसील खातेगांव जिला देवास म.प्र. - 455336 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: नूर मोहम्मद का मकान, पश्चिम: श्रीमती उमा बाई पति श्री हरिओम का मकान, उत्तर: श्री बबलू मैकेनिक का मकान, दक्षिण: कॉलोनी रोड	08-09-2025 & ₹ 8,80,761/-	26-11-2025
5	(लोन कोड नं. 02210000439/ रतलाम शाखा) अरविंद पिता पूनमचंद (ऋणी) आशा पति अरविंद(सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प.ह.न. 59 स्थित सर्वे नं. 1117/1/1/1/1/3 की भूमि, ग्राम रायपुरिया, तहसील पेटलाबाद, झाबुआ, मध्यप्रदेश-457775 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- रायपुरिया जमील रोड, पश्चिम- विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर- विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण- विक्रेता की शेष भूमि	11-08-2025 & ₹ 8,34,240/-	27-11-2025
6	(लोन कोड नं. 02210000196/ रतलाम शाखा) सुनील बसोद (ऋणी) सुशीला बसोद (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पंजीयन नं. 162, हनुमान गढ़ रोड, वार्ड नं. 5, पेटलाबाद, झाबुआ, म.प्र.- 457773 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- हनुमान रोड, पश्चिम- हनुमान मन्दिर की कृषि भूमि, उत्तर- पीडब्ल्यूडी का मकान, दक्षिण- नारायण भसोड का प्लॉट	06-08-2025 & ₹ 7,19,762/-	27-11-2025
7	(लोन कोड नं. 11010000075 / मंदसौर शाखा) गोविन्द परमार (ऋणी), मांगीलाल कहार (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नंबर 30 श्रंगार गली वार्ड नंबर 24 मंदसौर 458001 (म. प्र.) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- श्रृंगार गली रोड़, पश्चिम- नाथूराम जी, माधवलाल जी का मकान, उत्तर- मेवाराम जी का मकान, दक्षिण- मेवाराम जी का मकान, खातून बाई एवं सम्पत बाई बाबू	09-09-2024 & ₹ 5,37,242/-	27-11-2025

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 02.12.2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **18-12-2025** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **18-12-2025** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **17-12-2025** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	9088307	श्री आशीष दास श्रीमती रुची दास	Rs. 40,63,765/- 29-07-2022	Rs. 28,50,000/- (रुपये अठाईस लाख पचास हजार मात्र) अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- Rs. 2,85,000/- (रुपये दो लाख पिच्यासी हजार मात्र) कब्जे का प्रकार - सांकेतिक	Rs. 67,37,685/- अनुबंध क्रं. 9088307 के अंतर्गत बकाया एवं देय 24-11-2025
	अचल संपत्ति का विवरण:- अचल संपत्ति के सभी अधिकार, भाग एवं अंश, आवासीय फ्लैट नंबर 504, ब्लॉक-सी, शहनाई रेसीडेंसी, ए.बी. रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452008. क्षेत्रफल 868 वर्ग फुट 80.63 वर्ग मीटर। **चर्तुसीमा:** पूर्व:- फ्लैट नंबर 503, पश्चिम:- एम.ओ.एस., उत्तर:- कॉरिडोर और एम.ओ.एस., दक्षिण: -एम.ओ.एस.				
2	9175788 & 9178508 & 9949493	श्रीमती मिनाक्षी बजाज, स्व. श्री लक्ष्मणदास बजाज की पत्नि एवं कानूनी उत्तराधिकारी श्री राजीव बजाज स्व. श्री लक्ष्मणदास बजाज के पुत्र एवं कानूनी उत्तराधिकारी	Rs.18,28,823/- अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs.6,28,065/- अनुबंध क्रमांक 9178508 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs.12,40,726/- अनुबंध क्रमांक 9949493 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल Rs. 36,97,614/- 21-11-2022	Rs. 30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): Rs. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) कब्जे का प्रकार - भौतिक	Rs. 10,39,942/- अनुबंध क्रमांक 9178508 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs. 20,60,540/- अनुबंध क्रमांक 9949493 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs. 30,28,755/- अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है 24-11-2025
	अचल संपत्ति का विवरण:- अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, दूसरी मंजिल पर सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र 1040.00 वर्गफीट या 96.65 वर्ग मीटर का एक फ्री होल्ड आवासीय फ्लैट नंबर 202, जो 'कृष्णा कुंज' नामक बहुमंजिला इमारत/कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसका निर्माण पलसीकर कॉलोनी इंदौर जिला: इंदौर मध्य प्रदेश, प्लॉट नंबर 19 के उत्तर-पश्चिम की ओर (सामने की ओर) की भूमि पर किया गया है, **चर्तुसीमा:** पूर्व:- अन्य भूमि, पश्चिम:- फ्लैट नं. 201, उत्तर:- रोड, दक्षिण:- अन्य भूमि **प्रकटीकरण:**- सह-ऋणी द्वारा TCHFL के विरुद्ध दायर किया गया SA (SA/549/2024) DRT, जबलपुर के समक्ष लंबित है। उक्त मामले में TCHFL के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले उचित सावधानी बरतें। नीलामी मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी।				
3	TCHHF064 300010025 0224	श्रीमती मंजू राठौड़ श्री राकेश राठौड़	Rs. 10,88,302/- 10-07-2024	Rs. 14,01,000/- (रुपये चौदह लाख एक हजार मात्र) अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): Rs. 1,40,100/- (रुपये एक लाख चालीस हजार एक सौ मात्र) कब्जे का प्रकार - भौतिक	Rs. 1423591/- अनुबंध क्रं. TCHHF0643000100250224 के अंतर्गत बकाया एवं देय 24-11-2025
	अचल संपत्ति का विवरण:- उक्त अचल संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग मकान नं. 120, गरबा चौक, ग्राम शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम - 47001, उक्त मकान का भूतल ऊपर आरसीसी से बना है। कुल क्षेत्रफल 445.73 वर्ग फुट या (41.42 वर्ग मीटर) है। **चर्तुसीमा:** पूर्व : निकास एवं सड़क, पश्चिम: रामरतन का मकान, उत्तर: शांतिबाई का मकान, दक्षिण: गली				
4	TCHHL064 300010023 0792 & TCHHF064 300010023 0823 & TCHIN0643 000100236 394	श्री प्रयास कटारिया, श्रीमती टिना कटारिया	Rs. 9,48,948/- अनुबंध क्रमांक TCHHL0643000100230792 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs. 6,72,580/- अनुबंध क्रमांक TCHHF0643000100230823 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs. 53,517/- अनुबंध क्रमांक TCHIN0643000100236394 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल Rs. 16,75,045/- 22-11-2022	Rs. 18,50,000/- (रुपये अठारह लाख पचास हजार मात्र) अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): Rs. 1,85,000 /- (रुपये एक लाख पिच्यासी हजार मात्र) कब्जे का प्रकार - भौतिक	Rs. 7,76,798/- अनुबंध क्रमांक TCHHF0643000100230823 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs. 11,13,992/- अनुबंध क्रमांक TCHHL0643000100230792 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs. 69,171/- अनुबंध के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है 24-11-2022
	अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, प्लॉट नं. 89 का उत्तरी भाग, सर्वे नं. 590 एवं 591 की परिवर्तित भूमि पर, संत नगर, रतलाम, तहसील एवं जिला रतलाम (म.प्र.) क्षेत्रफल 398.56 वर्गफीट, (अर्थात 37.19 वर्गमीटर) **चर्तुसीमा** :- पूर्व- चारदीवारी, पश्चिम:- कॉलोनी की रोड़, उत्तर:- प्लॉट नं. 90, दक्षिण: - उक्त प्लॉट नं. 89 का शेष भाग				

नोट : बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले वे पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी मुकदमे के नतीजे, अगर कोई विवाद है, तो उसके अधीन होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 18-12-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडडाफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड डाफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। **आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी** के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **10-12-2025** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.lu/jhsitx** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर (मध्य प्रदेश)
दिनांक : 02-12-2025